
ग्रामीण विकास एवं भागीदारी योजना बनाम पर्यावरणीय समस्याएँ- एक अवलोकन

Prakash Chandra Shukla

Research scholar MJP Ruhel Khand University Bareilly

Prof, Neelam Gupta

Professor MJP Ruhel khand University Bareilly

सार

पंचायती राज संस्थाएँ (PRI) जमीनी स्तर पर पर्यावरण नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये संस्थाएँ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पर्यावरण नीतियों को ठोस कार्यों में परिवर्तित करने के लिए प्राथमिक माध्यम के रूप में कार्य करती हैं। जो ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली अनूठी पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान कर सकें। इसके लिये शोधार्थी ने जौनपुर जनपद की तीन ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण किया है। जौनपुर, जो कि मुख्य रूप से कृषि प्रधान जिला है, में PRI स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और मृदा क्षरण, जल प्रदूषण, वनों की कटाई और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे मुद्दों को संबोधित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जौनपुर की जिला पंचायत ने पर्यावरण की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से कई पहल की हैं। इनमें जैविक खेती को बढ़ावा देना, पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करना शामिल है। PRI, स्थानीय हितधारकों के सहयोग से, वनीकरण और जल संरक्षण के लिये मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी शामिल हैं।

परिचय

भारत में संविधान के 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की शुरुआत की गई थी, ताकि ग्रामीण विकास, भागीदारी योजना आदि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, जिन्हें विकास योजना के शुरुआती चरणों में नजरअंदाज कर दिया गया था। ग्रामीण जनता और पर्यावरण के बीच अंतर्संबंध को मान्यता देते हुए, पीआरआई द्वारा बनाए जाने वाले विकेंद्रीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का भी प्रावधान किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो 73वें संशोधन के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है, केरल, कर्नाटक आदि जैसे राज्यों में अत्यधिक सफल रहा है, जहाँ यह टास्क फोर्स का गठन करने में सक्षम रहा है जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए कई परियोजनाओं और कार्यक्रमों की स्थापना की दिशा में काम कर रहे हैं। योजना आयोग ने भी टास्क फोर्स का गठन किया था जो पीआरआई को धन प्राप्त करने, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ-साथ बाहरी सहायता प्राप्त योजनाओं को लागू

करने में मदद करेगा। संपूर्ण स्वच्छता मिशन, पीआरआई के दायरे में सरकार के नवीनतम एजेंडों में से एक है, जिसे 2012 में शुरू किया गया था। सरकार जानती है कि ग्रामीण पर्यावरण का विकास तभी हो सकता है जब लोगों को पर्यावरण के उचित मूल्यों और उपयोग के बारे में शिक्षित किया जाए और इसलिए, इसे बढ़ावा देने के लिए, पंचायती राज नागरिकों को कई ऐसे मिशनों के सफल समापन की देखरेख करने की जिम्मेदारी भी देता है, जिसके लिए लोगों को पर्यावरण की बेहतरी के लिए सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता होती है।

वन संरक्षण और विकास

अब यह स्थापित हो चुका है कि पीआरआई को भारत के संविधान का कानूनी समर्थन प्राप्त है, जबकि संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) को नहीं। इसलिए, केंद्र सरकार के मात्र सलाहकारी सुधारों से जेएफएमसी और पीआरआई के बीच हितों के टकराव का समाधान नहीं हो सकता। साथ ही, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 जिसे वन अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है, के अधिनियमन ने उन प्रावधानों के कारण और जटिलताएँ पैदा कीं, जहाँ वनवासी समुदाय सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा, पुनर्जनन और संरक्षण के लिए सामुदायिक वन अधिकारों का प्रयोग करेंगे, जिससे जेएफएमसी और ग्राम सभाओं के बीच टकराव और बढ़ गया। सरकार द्वारा ग्राम सभाओं को लघु वन उपज (एमएफपी) के स्वामित्व और सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा, पुनर्जनन और संरक्षण के अधिकार से सशक्त बनाने के निर्णय के परिणामस्वरूप जेएफएमसी और ग्राम सभाओं के पास वनों पर अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र हो गए हैं। केंद्र सरकार ने 2011 में राज्य सरकारों को जेएफएमसी को ग्राम सभा के अधीन करने के लिए एक सलाह भी जारी की है। चूंकि ग्राम सभाओं के पास वनों की सुरक्षा के लिए कोई कानूनी उपकरण नहीं है, इसलिए 2006 का अधिनियम ग्राम सभा को किसी भी सरकारी विभाग से सहायता लेने के लिए अधिकृत करता है।

अपशिष्ट प्रबंधन

देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता देने के लिए उत्सुक है और उसने देश भर के सभी पंचायत सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पीआरआई द्वारा प्रदान की जाने वाली बुनियादी सेवाओं में से एक ठोस और तरल प्रबंधन शामिल है। यह सुझाव दिया गया है कि पीआरआई कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें, जहाँ बंजर भूमि का उपयोग घास के मैदान या खेती योग्य भूमि या आर्किड के रूप में किया जाना चाहिए। अपशिष्ट प्रबंधन अपने आप में एक महत्वपूर्ण खंड है जिसने पीआरआई की नीतियों में मुख्य स्थान प्राप्त किया है और उसी के मद्देनजर स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। भारत सरकार (GOI) ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (MDWS) के माध्यम से ऐसी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पहल की है।

खान और खनिज

केंद्र सरकार ने वित्त आयोग से दसवें वित्तीय आयोग और उसके बाद से स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि की मात्रा की सिफारिश करने को कहा था। जिन प्रमुख स्रोतों के लिए स्थानीय निकायों को ऐसे हिस्से आवंटित किए गए थे, वे खानों और खनिजों की पट्टे राशि से थे। पहले यह राजस्व विभाग के पास था, लेकिन बाद में इसे भूविज्ञान और खनन विभाग को सौंप दिया गया। पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा अधिनियम) के कार्यान्वयन पर सबसे व्यापक दिशा-निर्देशों में से एक 21 मई 2010 को जारी किया गया था, जिसमें राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे खानों और खनिजों, एमएफपी, उत्पाद शुल्क, धन उधार आदि पर कानूनों, नियमों, कार्यकारी निर्देशों में संशोधन करें। पेसा में, पंचायतों को हस्तांतरण में कहा गया है कि लघु खनिजों के लिए पूर्वक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के अनुदान के लिए उचित स्तर पर पंचायत या ग्राम सभा की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। कुछ राज्य पंचायतों के बजाय ग्राम सभा को प्राथमिकता देते हैं जबकि अन्य ने ग्राम सभा को पूरी तरह से छोड़ दिया है। केंद्रीय और राज्य अधिनियमों की विसंगतियों से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर सामंजस्य समिति की स्थापना की पहल भी की गई है। शुरू में स्वदेशी लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा राष्ट्रीय हित के मद में मेगा माइन प्रोजेक्ट के मद्देनजर उनकी जमीनों और अन्य गौण अधिकारों पर अतिक्रमण था।

पीआरआई और पर्यावरण संरक्षण पर भारतीय न्यायपालिका की प्रतिक्रिया

यह तर्क दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय 73वें और 74वें संशोधन के कार्यान्वयन पर विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान आदि के क्षेत्र में गहरी नजर रख रहे हैं। यह देखना प्रेरणादायक है कि अब लोग भी पीआरआई की सुस्ती के मामले में शिकायत लेकर आते हैं और साथ ही पीआरआई गांव स्तर पर पर्यावरण की रक्षा करने में सबसे मजबूत स्तंभों में से एक बन गए हैं।

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज

राज्य 75 जिलों और 821 विकास खंडों में संगठित है। उत्तर प्रदेश में 51,914 ग्राम पंचायतें हैं। प्राचीन काल से ही पंचायती राज भारतीय समाज का अभिन्न अंग रहा है, ऋग्वेद में सभा और समितियों का उल्लेख मिलता है। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है ग्रामीणों द्वारा निर्वाचित पाँच लोगों की सभा। हालाँकि, ब्रिटिश राज के दौरान, विकेंद्रीकृत शासन की इस प्राचीन प्रणाली ने अपना महत्व खो दिया और यह निरर्थक हो गई। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत सरकार ने इस मूल्यवान सामाजिक संस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए और उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधिनियमन के साथ उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया और 15 अगस्त 1949 को 5 करोड़ 40 लाख की तत्कालीन ग्रामीण आबादी की सेवा के लिए 35000 पंचायतें और 8000 पंचायत अदालतें स्थापित की गईं। राज्य ने बलवंतराय मेहता समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर 1961 में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया।

उद्देश्य

- 1- उत्तर प्रदेश में पंचायती राज पर अध्ययन करना
- 2- पीआरआई और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारतीय न्यायपालिका की प्रतिक्रिया पर अध्ययन करना

अनुसंधान क्रियाविधि**जौनपुर जनपद की जिला पंचायत में पर्यावरणीय नीतियां एवं उनका क्रियान्वयन**

उत्तर प्रदेश के जौनपुर की जिला पंचायत ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों और पहलों के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय आजीविका पर पर्यावरणीय गिरावट के प्रभाव को पहचानते हुए, पंचायत ने जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, वनीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियों की एक श्रृंखला को लागू किया है। जिले में पानी की कमी एक आवर्ती मुद्दा है, इसलिए पंचायत ने भूजल को रिचार्ज करने, सिंचाई दक्षता में सुधार करने और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने की पहल को प्राथमिकता दी है। ये कार्यक्रम स्थानीय किसानों को स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने और समुदाय-आधारित प्रयासों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि चेक डैम का निर्माण और पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार। कार्यशालाओं और जागरूकता अभियानों के माध्यम से, पंचायत ग्रामीणों को जल संरक्षण तकनीकों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस आवश्यक संसाधन को संरक्षित करने के महत्व के बारे में शिक्षित करती है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जिला पंचायत के लिए ध्यान का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

परिणाम**पंचायत समिति जौनपुर में संचालित पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित योजनाएँ****सूखे से बचाव के कार्य**

पंचायत समिति जौनपुर के द्वारा सूखे से बचाव हेतु किये गये वर्षवार कार्यों का विवरण निम्नलिखित हैं।

तालिका 1 सूखे से बचाव हेतु किये गए कार्य

वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या	कार्यों की संख्या	व्यय राशि (लाखों में)

2020—21	02	02	2.05
2021—22	05	05	5.25
2022—23	45	195	17.00
2023—24	30	115	16.00
योग		317	40.30

परम्परागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार कार्य — पंचायत समिति जौनपुर के द्वारा किये गये परम्परागत जल स्रोतों के पुनरुद्धार कार्यों को वर्षवार विवरण निम्न तालिकानुसार हैं

तालिका 2 परम्परागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार कार्य

वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या	कार्यों की संख्या	व्यय राशि (लाखों में)
2020—21	36	98	75.60
2021—22	20	38	24.80
2022—23	11	24	6.05
योग		160	106.45

जल संरक्षण एवं जल संचय :- पंचायत समिति द्वारा जल संरक्षण व जल संचय कार्य को तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है।

तालिका 3 जल संरक्षण एवं जल संचय

वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या	कार्यों की संख्या	व्यय राशि (लाखों में)
2020—21	45	175	130.05
2021—22	40	105	145.56
2022—23	50	165	350.90
2023—24	30	135	200.10
योग		580	826.61

मनरेगा के तहत, संचालित अन्य योजनाएँ

प्रदेश को हरा-भरा बनाने के लिए जन-जन के सहयोग से वृक्षारोपण की महत्वाकांक्षी योजना चलाई गई। वन विभाग द्वारा अन्य विभागों को पौधे उपलब्ध कराने के साथ-साथ भूमि तथा सड़क मार्गों पर वृक्षारोपण के कार्य करवाये गये।

राज्य सरकार ने वृक्षारोपण को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ सम्बद्ध किया है। इस योजना की क्रियान्विति का जिम्मा ग्राम पंचायतों व वन विभाग को दिया गया था। जौनपुर जिले में वृक्षारोपण अभियान के तहत कई प्रकार के पौधे लगाये गये हैं जिसमें आम, आवला, बरगद, पीपल, अमरूद, नीम, जामुन आदि मुख्य हैं।

जिले में महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत विगत 5 वर्षों से वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत लगाये गये पौधे और जीवित पौधे व उन पर हुए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:—

तालिका 4 अन्तर्गत लगाये गये पौधे और जीवित पौधे व उन पर हुए व्यय का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	लगाये गये पौधे	जीवित पौधे	व्यय लाखों में	सुरक्षा पिलाने में राशि	पानी व्यय
1	2020—21	3449333	2989536	610.625		
2	2021—22	4070666	3528046	150.100		
3	2022-23	4732000	4101224	165.910		
4	2023—24	4868000	4219095	170.890		
योग		17119999	41747901	1097.525		

पंचायत समिति जौनपुर द्वारा पिछले तीन वर्षों में (वर्ष 2020—21, 2021—22, 2022—23) में हरित योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य निम्न प्रकार हैं :-

तालिका 5 लगाये गये पौधे

क्र.सं.	वर्ष	लगाये गये पौधे
1.	2020—21	30000
2.	2021—22	544560
3.	2022—23	168510
योग		743070

उपर्युक्त अवधि में लगाये गये पौधों में 86.67 प्रतिशत पौधे जीवित हैं।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश के जौनपुर की जिला पंचायत ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों और पहलों को लागू करके पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया है। जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, वनीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, पंचायत ने जिले की कुछ सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया है। भूजल पुनर्भरण, कुशल सिंचाई और वर्षा जल संचयन जैसी पहलों ने स्थानीय किसानों को स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए सशक्त बनाया है, जबकि समुदाय-आधारित प्रयासों ने जमीनी स्तर पर जल संरक्षण को और मजबूत किया है। इसके अलावा, इन प्रथाओं के महत्व के बारे में ग्रामीणों के बीच शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए पंचायत की प्रतिबद्धता एक अधिक पर्यावरण के प्रति जागरूक समुदाय बनाने में सहायक रही है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें अपशिष्ट निपटान और पुनर्चक्रण तंत्र को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे-जैसे पंचायत इन पहलों पर काम करना जारी रखती है, यह पर्यावरण की सुरक्षा और जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक कल्याण दोनों में योगदान देती है।

सन्दर्भ सूची

1. अल्दारकर, हेरोल्ड एफ. विकासशील देशों में स्थानीय सरकार। न्यूयॉर्क मैकग्रा-हिल बुक कंपनी, 1964.
2. अल्टेकर, ए.एस. हिंदू सभ्यता में महिलाओं की स्थिति। वाराणसी, 1956, पृ. 198.
3. अंबेडकर, एम. सिद्दीकी, वाई. भारत में सामाजिक कल्याण में उद्धृत। हरनाम प्रकाशन, नई दिल्ली, 1990. आरण्यक, 17, 19, 20, 21, 27.
4. अली, अशरफ. "उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएँ।" भारत राज्य में पंचायती राज का अध्ययन। कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, 1994. अथर्ववेद, दयानंद संस्थान, नई दिल्ली।
5. आईएसएस. कर्नाटक में जिला परिषद सदस्यों की सामाजिक पृष्ठभूमि 1989. सामयिक पत्र श्रृंखला 7, नई दिल्ली, 1989.
6. आईएसएस. संविधान (72वां संशोधन) विधेयक 1991, पंचायतों पर पैनल चर्चा की रिपोर्ट। नई दिल्ली, 1991।
7. आईएसएस. कर्नाटक में नया पंचायत राज एक मूल्यांकन। नई दिल्ली। आईएसएस: केरल में जिला परिषद सदस्यों की सामाजिक पृष्ठभूमि 1991, सामयिक पत्र श्रृंखला-8, नई दिल्ली, 1991।

8. इंदिरा गांधी। वशिष्ठ, बी. के. *भारत में महिलाओं का विश्वकोश*। प्रवीण प्रकाशक, नई दिल्ली, 1976।
9. कौशिक, सुशीला, सं. राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। नई दिल्ली: आईएडब्ल्यूएस और विकास, 1983।
10. कोठारी, रजनी। "विकेंद्रीकरण: वास्तविक मुद्दा।" सेमिनार संख्या 360, अगस्त 1989।
11. गांधी, मोहनदास करमचंद। चतुर्वेदी, नर्मदेश्वर। बापू का सपना। हिंदी साहित्य, इलाहाबाद: विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1970. गृहसूत्र, 25/23.
12. चीमा, जी.एस., और रोंडीनेली, डी.ए. विकासशील देशों में विकेंद्रीकरण और विकास नीति कार्यान्वयन। नई दिल्ली, 1983.
13. चोपड़ा, पी.एन. मुगल काल (1526—1707) के दौरान समाज और संस्कृति के कुछ पहलू। झा, मंगेश. नेतृत्व और स्थानीय राजनीति। बॉम्बे, 1972.
14. जैन, एल.सी. भारत में सामुदायिक विकास और पंचायती राज। एलाइड प्रकाशन, बॉम्बे, 1967.
15. डे, एस.के. कुछ मुद्दे। एन.बी. माथुर और इकबाल नारायण द्वारा संपादित, पंचायती राज योजना और लोकतंत्र। एशिया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1969.
16. डे, एस.के. सामुदायिक विकास एक पल का जन्म। इलाहाबाद, 1960. पाणिनि।